संख्या-02/2017/111/12-5-2017-53/2014

प्रेषक,

ए0पी0 तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक:: 06 मार्च, 2017

विषय:-कृषि रक्षा इकाई, भमौरा, जनपद-बरेली के गोदाम किराये की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1790/लेखा/कृ0र0/किराया-भमौरा बरेली/2016-17, दिनांक 28.11.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में वर्णित परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय कृषि रक्षा इकाई, भमौरा, जनपद-बरेली के गोदाम किराया दिसम्बर, 2016 से 02 वर्षों के लिए रू0 2805/- (रूपयो दो हजार आठ सौ पांच मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म आयोजनेत्तर-107-वनस्पति संरक्षण-03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना के मानक मद-17 किराया उपशुल्क के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(ए0पी0 तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-111(1)/12-5-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार लेखापरीक्षा प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. उप कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) बरेली।
3. जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बरेली।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-1
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in